प्रेस विज्ञप्ति

जनपदः-बस्ती

दिनांक:- 10.01.2021

थाना छावनी अन्तर्गत सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड का खुलासा,घटना में संलिप्त तीन अभियुक्त गिरफ्तार-

---

पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री अनिल कुमार राय व पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में थाना छावनी अन्तर्गत घटित सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती एवं क्षेत्राधिकारी हर्रैया के नेतृत्व में थाना प्रभारी छावनी, हर्रैया एवं स्वाट/सर्विलांस की चार टीमो का गठन किया गया। इस घटना से पूरे जनपद में भय व आतंक का माहौल पैदा हो गया था। एक ही ट्रक में जाने वाले तीन लोगो की नृशंस हत्या अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कारित की गई, जिसमें एक व्यक्ति का शव खेत में मिला, जिसका गला काट कर मारा गया तथा दो व्यक्तियों का शव ट्रक के अन्दर मिला। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में घटना के बारे में लोगो द्वारा कई प्रकार की आशंका व्यक्त की गई। इस घटना का खुलासा और अपराधियो की गिरफ्तारी बस्ती पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस घटना के खुलासे हेतु गठित टीमो द्वारा सुनियोजित तरीके से कार्यवाही करते हुए घटना स्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया गया और उसके पश्चात सर्विलांस टीम द्वारा सी.डी.आर का विश्लेषण एवं अन्य टीमो के द्वारा टोलप्लाजा व अन्य स्थानो के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से साक्ष्यो का संकलन करके लगातार अनवरत प्रयास करके इस सनसनीखेज तिहरे हत्याकाण्ड का अनावरण करते हुए आज दिनांक 10.01.2021 को समय करीब 15.45 बजे कवलपुर थाना क्षेत्र छावनी के पास से घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1.अजीत सिंह उर्फ कल्लू पुत्र देशराज निवासी इन्दे मऊ थाना बीघापुर जनपद उन्नाव।

2. अरूण कुमार यादव उर्फ गोलू पुत्र प्रहलाद यादव निवासी गोसीखेड़ा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव।

3.शील कुमार मौर्या उर्फ शीलू पुत्र राम दयाल मौर्या निवासी भानीपुर थाना सैनी जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी का विवरण –

1.घटना में प्रयुक्त दो अदद ट्रक क्रमशः UP-35-T- 0576 एवं UP-78-CT-0956

2.एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.एक अदद चाकू (आला कत्ल)

4.एक अदद राड (आला कत्ल)

5.तीन अदद मोबाइल

6.जामा तलाशी से 2550 रुपये ।

नोटः पूछताछ में अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि इस घटना के पश्चात उक्त ट्रक में से एक बैग के अन्दर से एक पालीथिन (जिसके अन्दर करीब साढे छः लाख रूपये होना बताया गया है) को अभियुक्त गोलू यादव द्वारा अपने भाई मनीष को दिया जाना बताया गया है, जिसकी बरामदगी हेतु टीम रवाना है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.01.2021 को थाना छावनी पर सूचना प्राप्त हुई कि नई बाजार के पास NH 28 के किनारे दक्षिण तरफ एक व्यक्ति का रक्त रंजित शव पडा हुआ है तथा आदेश ढाबा के पास खडी ट्रक नम्बर UP-78-DN-8915 में भी दो व्यक्तियों का लहुलुहान शव पड़ा है। इस सनसनीखेज घटना की सूचना पर उच्चाधिकारी गण द्वारा मौके का निरीक्षण कर कुल 04 टीमो का गठन करते हुए घटना के त्वरित अनावरण के निर्देश दिये गये । जाँच के क्रम में उपरोक्त ट्रक के मालिक श्री मनोज कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी बर्रा 5 थाना बर्रा जनपद कानपुर नगर द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उनके ट्रक के चालक राजकुमार गौतम पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम दुर्जन खेड़ा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव एवं सह चालक सोनू मौर्या उर्फ ओम नारायण पुत्र रामकिशोर मौर्या दिनांक 06.01.2021 को आलू, प्याज व लहसुन चकरपुर मण्डी कानपुर नगर से लाद कर परसौनी बिहार गये थे। वहाँ से खाली गाड़ी लेकर वापस आते समय जनपद के छावनी थाना क्षेत्र में उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0 10/2021 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । घटना के अनावरण हेतु थाना प्रभारी छावनी, हर्रैया, स्वाट/सर्विलांस टीम को लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.01.2021 को घटना का अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तो की गिरफ्तारी की गई है ।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तो से पूछताछ की गई तो पाया गया कि यह सभी अभियुक्त व मृतक एक –दूसरे से भलीभाँति परिचित थे तथा चकरपुर मण्डी कानपुर नगर से माल लादकर अक्सर बिहार जाते रहते थे। दिनांक 08.01.2021 को सायं करीब 08.00 बजे इन सभी लोगो की मुलाकात कस्बा हाटा जनपद कुशीनगर के पास स्थित एक ढाबे पर हुई, वहाँ से खाना खाने के बाद मृतक सोनू मौर्या,राजकुमार गौतम एवं व्यापारी मो0 असलम ट्रक सं0 UP-78-DN-8915 जिसे सह चालक सोनू मौर्या, अजीत सिंह व शील कुमार मौर्या उर्फ शीलू ट्रक सं0 UP-35-T- 0576 जिसे सह चालक शील कुमार मौर्या उर्फ शीलू एवं गोलू यादव व विनोद कुमार सिंह ट्रक सं0 UP-78-CT-0956 जिसे सह चालक गोलू यादव चला रहे थे से चले। शील कुमार मौर्या व गोलू यादव अपने ट्रको से पीछा करते हुए, हर्रैया टोल प्लाजा से पूर्व एक ढाबे पर सोनू मौर्या से मिले तथा वही पर तीनो ने एक साथ चाय पी । उस समय तक ट्रक के मुख्य चालक अजीत सिंह व विनोद कुमार सिंह अपनी-अपनी ट्रको में सो रहे थे । टोल प्लाजा क्रास करने के बाद अजीत सिंह व गोलू यादव जिन्होने पूर्व में हुए विवाद के कारण चालक राजकुमार गौतम को मारने की योजना बनायी थी को यह भी सूचना प्राप्त हो गई थी कि इसी गाड़ी में एक व्यापारी भी है,

जिसके पास पैसा रहता है। यह लोग उसे मारकर पैसा हासिल करना चाहते थे। इन्होने आपस में वार्ता करके गाड़ी सं0 UP-78-DN-8915 को कस्बा छावनी के आगे नई बाजार के पास रोक लिया, वही पर गोलू व अजीत ने गाड़ी चला रहे, सोनू मौर्या को यह कहकर कि तुम्हारी गाड़ी का टायर पंचर है उसे नीचे उतारा और वही पर धारदार हथियार से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी,इसके बाद दोनो गाड़ी के केबिन में सो रहे राजकुमार गौतम एवं मो0 असलम की भी धारदार हथियार (चाकू) व राड से मारकर हत्या कर दी । इसके बाद अजीत सिंह उक्त गाड़ी को स्वयं चलाकर ले गया तथा घटना स्थल से करीब 3.5KM आगे आदेश ढाबे से पहले सडक के किनारे खड़ी कर दिया तथा सभी वहाँ से अपनी-अपनी गाड़ी से चले गये । इस सम्पूर्ण घटना की जानकारी अजीत सिंह की गाड़ी के सह चालक शील कुमार उर्फ शीलू को थी तथा उसका भी षड़यन्त्र में सम्मिलित होना पाया जा रहा है । गाड़ी के दूसरे चालक विनोद कुमार सिंह सो रहे थे,अब तक की जाँच से उन्हे घटना की जानकारी न होना तथा घटना में इनकी संलिप्तता नही पायी जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.प्रभारी निरीक्षक छावनी श्री विकास यादव
2.थानाध्यक्ष हर्रैया श्री सर्वेश राय
3.स्वाट प्रभारी श्री विनोद कुमार यादव
4.सर्विलांस प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह
5.उ0नि0 श्याम मोहन त्रिपाठी,उ0नि0 अजय सिंह थाना छावनी जनपद बस्ती।
6.हे0का0 महेन्द्र यादव ,हे0का0 मनोज राय ,हे0का0 मनिन्द्र प्रताप चन्द ,का0 रणजीत ,का0 देवेन्द्र,का0 अभिषेक तिवारी ,का0 रमेश गुप्ता ,का0 रवि शंकर साह स्वाट टीम बस्ती ।
7.हे0का0 अनिल कुमार,का0 जनार्दन प्रजापति ,का0 सन्तोष यादव ,का0 सर्वेश नायक,का0 सत्येन्द्र सिंह ,का0 हिन्दे आजाद सर्विलांस सेल बस्ती ।
8.का0 अजय यादव, का0 सौरभ सिंह ,का0 विजय कुमार यादव थाना हर्रैया जनपद बस्ती ।
8.हे0का0 दिनेश यादव ,का0 कृष्णा नन्द तिवारी ,का0 सूरज यादव, का0 आनन्द राय थाना छावनी जनपद बस्ती ।